[2022] 11 एस. सी. आर 273

मेसर्स शिवाली इंटरप्राइजेज

बनाम

श्रीमती गोदावरी (मृत) के विधिक प्रतिनिधि और अन्य द्वारा

(सिविल अपील सं। 8904-8907/2010)

13 सितंबर, 2022

[बी. आर. गवई और सी. टी. रविकुमार, न्यायाधिपतिगण]

पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918: एस. 41 - उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत दूसरी अपील-आयोजितः दूसरी अपील एक ऐसा मंच नहीं है जहाँ अदालत को निचली अदालत या अपीलीय अदालत द्वारा तय किए गए तथ्य के प्रश्न की फिर से जांच या फिर से सराहना करनी है।

एस का दृश्य। 41 , कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करना आवश्यक नहीं है, दूसरी अपील के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग साक्षय के पुनः मूल्यांकन के लिए नहीं किया जा सकता है-क्षेत्राधिकार यू/एस। 41 यह केवल तभी उपलब्ध होगा जब सी. पी. सी. या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि या दोष हो-तथ्यों पर, पक्षों के बीच भूमि बेचने का समझौता, रुपये में। 1,65,000 / - जिसमें से रु. 1,50,000 / - प्रत्यर्थियों द्वारा विधिवत प्राप्त किया गया और शेष का भुगतान बिक्री विलेख के निष्पादन के समय किया जाना था-कब्जा अपीलार्थी को दिया गया

उत्तरदाताओं को आयकर मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता थी

प्रमाणपत्र और अपीलार्थी के नाम पर राजस्व अभिलेखों को परिवर्तित करने के लिए, हालांकि, अपीलार्थी को पता चला कि प्रत्यर्थी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे-अपीलार्थी ने तब विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसे निचली अदालत और अपीलीय अदालत द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया गया था, हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील में दरकिनार कर दिया गया था-तथ्यों पर, निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने विशेष रूप से सबूत के आधार पर पाया था कि, हालांकि बेचने के समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार, बिक्री विलेख का निष्पादन तीसरे पक्ष के अधिकारों के निर्माण के बाद ही किया जाना था।

प्रत्यर्थियों ने आई. टी. सी. प्रमाणपत्र प्राप्त किया और राजस्व अभिलेखों को सही कराया, अपीलार्थी को मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि प्रत्यर्थियों ने मुकदमे की संपत्ति को अलग करने की कोशिश की थी-निचली अदालत और अपीलीय अदालत के समवर्ती निष्कर्ष कि अपीलार्थी को मुकदमा दायर करने में उचित ठहराया गया था, जिसमें गलती नहीं हो सकती थी-उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया और अलग कर दिया गया।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. यहां तक कि जब कोई अदालत पंजाब अधिनियम की धारा 41 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है, तो वह दूसरी अपील में तथ्य के निष्कर्षों में इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है कि उक्त निष्कर्ष गलत हैं, चाहे त्रुटि कितनी भी गंभीर या अक्षम्य क्यों न लगे। तथ्य के निष्कर्षों में दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष भी शामिल होंगे। पंजाब अधिनियम की धारा 41 के तहत अधिकार क्षेत्र केवल तभी उपलब्ध होगा जब सी. पी. सी. या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया में कोई बड़ी त्रुटि या दोष हो। यद्यपि कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करना आवश्यक नहीं है,

पंजाब अधिनियम की धारा 41 के तहत अधिकार क्षेत्र दूसरी अपील में केवल ऐसे निर्णयों पर विचार करने की अनुमति देगा जो हैं -

कानून के विपरीत या कानून के बल वाले किसी प्रथा या उपयोग के विपरीत, या जब नीचे दिए गए न्यायालय कानून के बल वाले कानून या प्रथा या उपयोग के कुछ भौतिक मुद्दे को निर्धारित करने में विफल रहे हों। दूसरी अपील एक ऐसा मंच नहीं है जहां अदालत को निचली अदालत या अदालत द्वारा तय किए गए तथ्य के सवाल की फिर से जांच या फिर से सराहना करनी है।

अपीलीय न्यायालय। हालाँकि पंजाब अधिनियम की धारा 41 को ध्यान में रखते हुए, कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करना आवश्यक नहीं है,

दूसरी अपील के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के लिए नहीं किया जा सकता है। [पैरा 15,17] [282-डी एफ; 284-सी-डी]

2.1 लिखित बयान में, प्रतिवादियों ने कहा कि उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी और एक मुख्तार को फांसी दी थी।

सूट संपत्ति, यदि वे चाहते हैं। [पारस 20-21] [285-H; 286 A-B, D] 2.2 निचली अदालत, सबूतों को देखने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बेचने के समझौते (समझौतों) के निष्पादन को प्रतिवादियों द्वारा स्वीकार किया गया था। निचली अदालत आगे इस तथ्य के एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंची कि अपीलकर्ता-वादी हमेशा तैयार था और अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार था। इसने पाया कि, प्रत्यर्थियों पर-एम/एस के रूप में शर्तों का पालन करने वाले प्रतिवादी।

उक्त सूचना की प्राप्ति से। अपील में, अपीलीय अदालत ने निचली अदालत द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों की पुष्टि की। इसने अभिनिर्धारित किया कि बेचने के समझौते का निष्पादन और प्राप्ति रु. की वास्तविक राशि। 1,50,000 / - विवादित नहीं था। इसने पाया कि बेचने के समझौते की शर्तों के अनुसार, यह उत्तरदाताओं पर था कि वे राजस्व रिकॉर्ड को ठीक करें और वे आईटीसी प्रमाणपत्र प्राप्त करने और विक्रेता को इसकी एक प्रति भेजने के लिए भी सहमत हुए थे। अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मौखिक साक्षय भी इन शर्तों में शामिल किए गए हैं

साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 92 को ध्यान में रखते हुए लिखित बयान नहीं दिया जा सकता है। इसने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी संख्या 7 का स्व-सेवारत मौखिक कथन बेचने के लिए समझौते (ओं) में शामिल नियमों और शर्तों का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा राजस्व रिकॉर्ड के सुधार के बिना दायर किया गया था, अपीलीय अदालत ने पाया कि चूंकि प्रतिवादियों का इरादा था

2.3 अपीलीय अदालत एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंची कि किसी भी उत्तरदाता, जो समझौते के हस्ताक्षरकर्ता थे, के पास नहीं था गवाह बक्से में प्रवेश किया। हालाँकि प्रतिवादी संख्या 7, जो प्रतिवादी संख्या 3 का पति है, एक गवाह के रूप में पेश हुआ था, अपीलीय अदालत ने पाया कि वह एक अच्छा विकल्प नहीं था।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4, जो विक्रेता होने के नाते, भौतिक गवाह थे। अपीलीय अदालत ने कहा कि किसी भी विक्रेता की जांच न होने के कारण, उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। [पैरा 24] [287-बी-डी] 2.4 उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलकर्ता-वादी राजस्व रिकॉर्ड को सही करने के बाद ही अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग कर सकता है। इसने अभिनिर्धारित किया कि राजस्व अभिलेख में सुधार के लिए मुकदमा प्रतिवादियों द्वारा 1986 में दायर किया गया था और यह फैसला 2006 में दिया गया था। अतः इसने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी-वादी का मुकदमा जो 1989 में दायर किया गया था, मान्य नहीं था। इसलिए एकल न्यायाधीश ने अपील [2022] 11 एस. सी. आर. को स्वीकार कर लिया।

सूट संपत्ति। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने द्वारा दर्ज तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में गलती की विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी। निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने विशेष रूप से साक्षय के आधार पर पाया था कि, हालांकि नियमों और शर्तों के अनुसार

उसे बेदखल करने और उस पर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने की धमकी सूट की संपत्ति। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी-वादी मुकदमा दायर करने के लिए विवश था। लिखित बयान में, उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों ने विशेष रूप से कहा है कि वे तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने के हकदार थे। इस तथ्यात्मक स्थिति में,

निचली अदालत और अपीलीय अदालत के समवर्ती निष्कर्षों में गलती नहीं की जा सकती थी कि अपीलार्थी-वादी को मुकदमा दायर करने में उचित ठहराया गया था। [पैरा 27] [288-ए-सी]

राजस्व अभिलेखों का प्रमाण पत्र और सुधार, जबकि दूसरी ओर, वे मुकदमे की संपत्ति को अलग करने के अपने अधिकार पर जोर देते हैं। [पैरा 28] [288-सी-डी] 2.7 रुपये की सहमत राशि में से, अपीलार्थी पहले ही रुपये की राशि का भुगतान कर चुका है। वह पहले से ही रखा गया था

बेचने के लिए समझौते (ओं) के निष्पादन के समय कब्जे में। शेष बिक्री पर विचार जो भुगतान किया जाना था वह केवल था

कुल सहमत राशि का लगभग 10 प्रतिशत। यद्यपि बिक्री विलेख प्रत्यर्थियों पर निष्पादित किया जाना था-प्रतिवादियों को आई. टी. सी. प्रमाणपत्र प्राप्त करना और वर्ष 1986 में राजस्व रिकॉर्ड को ठीक करना, उनके लालच को देखते हुए क्योंकि कीमतें बढ़ रही थीं, एम/एस। शिवाली एंटरप्राइजेज वी. एसएमटी। गोदावरी (डिसेस्ड) टीएचआर। एलआरएस। और अन्य

उत्तरदाता-प्रतिवादियों ने तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने की कोशिश की थी। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी को मुकदमा दायर करने की आवश्यकता थी। प्रत्यर्थियों ने अपने लिखित बयान में यह भी कहा है कि वे मुकदमे की संपत्ति को अलग करने के हकदार थे। होने के नाते

बेचने के लिए समझौता (ओं) और रुपये की राशि की प्राप्ति को स्वीकार किया। 1,50,000 / - रुपये की कुल राशि में से, उत्तरदाताओं को इसके विपरीत लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

यह स्थिति है कि एक ओर, आई. टी. सी. प्रमाणपत्र प्राप्त करने और राजस्व अभिलेखों को ठीक करने से पहले मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता था, और दूसरी ओर वे मुकदमे की संपत्ति को अलग करने के हकदार थे। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दस्तावेजी और मौखिक साक्षय के सही मूल्यांकन पर निचली अदालत और अपीलीय अदालत द्वारा प्राप्त तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में गलती की। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है

और अपीलीय न्यायालय को बरकरार रखा जाता है। [पारस 32-34] [289-C-H; 290 A-B]

कुलवंत कौर और अन्य बनाम। गुरदियाल सिंह मान

(मृत) एलआर द्वारा। और अन्य (2001) 4 एससीसी 262: [2001] 2 एस. सी. आर. 525-लागू नहीं होता है।

कोंडीबा दगडू कदम बनाम। सावित्रीबाई सोपान गुजर और अन्य (1999) 3 एस. सी. सी. 722: [1999] 2 एस. सी. आर. 728; किरोडी (मृतक होने के बाद से) अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से v. राम प्रकाश और अन्य (2019) 11 एस. सी. सी. 317: [2019] 7 एस. सी. आर. 968; सत्येंद्र और अन्य बनाम। सरोज और अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1026; निर्मला आनंद बनाम। एडवेंट कॉर्पोरेशन (पी) लिमिटेड और अन्य (2002) 5 एस. सी.

सी. 481: रणधीर कौर बनाम। पृथ्वी पाल सिंह और अन्य (2019) 17 एससीसी 71: [2019] 9 एससीआर 776; विद्याधर बनाम। माणिकराव और एक अन्य (1999) 3 एस. सी. सी. 573: [1999] 1

एस. सी. आर. 168-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1999] 2 एससीआर 728

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[2019] 7 एससीआर 968

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

(2002) 5 एस. सी. सी. 481

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[2019] 9 एससीआर 776

संदर्भित किया गया है

पैरा 14 [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1999] 1 एससीआर 168

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

[2001] 2 एससीआर 525

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा

30

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 8904

8907 2010 से।

03.03.2008 और 10.04.2008 दिनांकित निर्णय और आदेशों से

2005 के आर. एस. ए. सं. 1206 और 2005 के आर. एस. ए. में आर. ए. सं. 19-सी/08 और 2005 के आर. एस. ए. सं. 1207 और 2008 के आर. ए. सं. 18-सी में आर. एस. ए. सं. 2005 के 1207 में।

एस. आर. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , ए. वेनायगम बालन, ऋषि मल्होत्रा,

सिद्धार्थ सेंगर, गौरव लोमेस, पृथ्वी यादव, अभिषेक अत्रे एडवस। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. ये अपीलें 3 मार्च 2008 के फैसले को चुनौती देती हैं।

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नियमित दूसरी अपील सं। 1206 और 1207 2005 का अधिनियम, जिससे प्रतिवादियों द्वारा दायर अपीलों को अनुमति मिलती है-प्रतिवादियों ने समवर्ती निर्णयों और दिनांक 3 जनवरी के फरमानों को चुनौती दी

2001 आरबीटी 329/90/2000 में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), फरीदाबाद (इसके बाद "ट्रायल कोर्ट" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित किया गया, और 8 फरवरी 2005 को विद्वान जिला न्यायाधीश, फरीदाबाद द्वारा पारित किया गया।

(इसके बाद 2001 की सिविल अपील संख्या 11 में "अपीलीय न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया गया है। विवादित फैसले के दौरान, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि यदि वादी बेचने के समझौते (समझौतों) के अनुसार बिक्री विलेख को निष्पादित करना चाहता है, तो वह बिक्री प्रतिफल के रूप में वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्य का भुगतान करके ऐसा करेगा। अपीलार्थी वादी ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 10 अप्रैल 2008 के आदेश पर भी हमला किया है, जिससे 2005 के आर. एस. ए. संख्या 1206 में 2008 के आर. ए. संख्या 19-सी होने के कारण समीक्षा आवेदनों को खारिज कर दिया गया है।

और अपीलार्थी-वादी द्वारा दायर 2005 की आर. एस. ए. संख्या 1207 में 2008 की आर. ए. संख्या 18-सी।

2. वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलार्थी-वादी ने अपने साथी राज कुमार के माध्यम से प्रवेश किया

29 अक्टूबर 1983 को उत्तरदाता मेसर्स के साथ बेचने का समझौता।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मुकदमे की संपत्ति के संबंध में, जो चक सालारपुर, तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद (यू. पी.) की राजस्व संपत्ति में स्थित थी, रु. 2900 / - प्रति बीघा। हालांकि सूट संपत्ति शुरू में यू. पी. राज्य में थी, केंद्र की अधिसूचना के अनुसार

15 सितंबर 1983 की सरकार ने इसे हरियाणा राज्य का हिस्सा बना दिया। 29 अक्टूबर 1983 को बेचने के समझौते के समय,

अपीलार्थी-वादी द्वारा उत्तरदाता-प्रतिवादियों को Rs.50,000/- की बकाया राशि का भुगतान किया गया था।

3. उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य के बीच विवाद के कारण, उपरोक्त बिक्री विलेख अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया जा सका

समझौता, रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान अपीलार्थी-वादी द्वारा उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों को किया गया था। यह विवाद में नहीं है कि 29 अक्टूबर, 1983 को किए गए बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार देय कुल राशि रु। 1,65,000 / - जिसमें से रु. 1,50,000 / - प्रतिवादियों द्वारा 23 अगस्त 1985 को या उससे पहले विधिवत प्राप्त किया गया था। बेचने के समझौते की शर्तों के अनुसार, शेष बिक्री मूल्य का भुगतान बिक्री विलेख के निष्पादन और पंजीकरण के समय उप-पंजीयक के समक्ष किया जाना था। यह विवाद में नहीं है कि वाद संपत्ति का भौतिक कब्जा भी अपीलार्थी-प्रतिवादी द्वारा-निष्पादन के समय प्रतिवादियों को दिया गया था।

बेचने के लिए समझौते (ओं)। यह भी विवाद में नहीं है कि इसके बाद अपीलार्थी वादी मुकदमे की संपत्ति के निरंतर कब्जे में है।

4. बेचने के समझौते की शर्तों के अनुसार, प्रतिवादियों को आय-कर मंजूरी (संक्षेप में) प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

" आई. टी. सी.) प्रमाणपत्र और राजस्व अभिलेखों को भी परिवर्तित करके उन्हें मालिक के रूप में दिखाने के लिए क्योंकि केंद्र सरकार को गलती से मालिक के रूप में दिखाया गया था। बिक्री के समझौते में आगे यह निर्धारित किया गया था कि, प्रतिवादियों द्वारा चूक के मामले में, अपीलकर्ता-वादी बिक्री विलेख को निष्पादित और पंजीकृत करने के लिए स्वतंत्र था। 5. यह जानने के बाद कि प्रतिवादी-प्रतिवादी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपीलार्थी-वादी ने एक मुकदमा दायर किया

स्थायी निषेधाज्ञा के लिए आगे की प्रार्थना के साथ विशिष्ट प्रदर्शन

उत्तरदाताओं के खिलाफ-प्रतिवादी। उक्त मुकदमे का प्रतिवादियों-प्रतिवादियों द्वारा अपना लिखित बयान दाखिल करके विरोध किया गया था। विद्वत विचारण न्यायालय ने 3 जनवरी 2001 के निर्णय और डिक्री के माध्यम से मुकदमे का फैसला सुनाया। उत्तरदाताओं द्वारा दायर एक अपील में-प्रतिवादी, विद्वान अपीलीय न्यायालय ने 8 फरवरी 2005 के फैसले और डिक्री के माध्यम से निचली अदालत के निष्कर्षों को बरकरार रखा।

6. इससे व्यथित होकर, प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की। विवादित निर्णय के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत और अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्षों को उलट दिया और उपरोक्त निर्णय पारित किया। इससे व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपीलों को अपीलार्थी-वादी द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

7. हमने श्री ऋषि मल्होत्रा, विद्वान वकील को पेश होते सुना है।

अपीलार्थी की ओर से-वादी और श्री एस. आर. सिंह, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील-प्रतिवादी।

8. श्री मल्होत्रा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने बहुत बड़ी गलती की है

9. श्री मल्होत्रा ने आगे कहा कि यह मानते हुए भी कि पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 41 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए (इसके बाद "पंजाब अधिनियम" के रूप में संदर्भित) कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करना आवश्यक नहीं है, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश की अधिकारिता अभी भी पंजाब अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों द्वारा सीमित होगी और दूसरी अपील में कोई भी हस्तक्षेप केवल तभी आवश्यक होगा जब मामला पंजाब अधिनियम की धारा 41 में निर्धारित सीमित क्षेत्र के भीतर आता है।

10. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने गवाह बॉक्स में प्रवेश नहीं किया है और इस तरह, बेचने के समझौते (ओं) के आधार पर अपीलकर्ता वादी का मामला बिना चुनौती के चला गया है। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए और विवादित निर्णयों को रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। 11. इसके विपरीत, श्री सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को सही मंजूरी दी है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शर्तों के अनुसार

बेचने के समझौते के तहत, बिक्री विलेख को आई. टी. सी. प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही पंजीकृत किया जाना था और संपत्ति में परिवर्तन किया गया था।

1 (1999) 3 एस. सी. सी. 722 एम/एस. शिवाली एंटरप्राइजेज वी. एसएमटी। गोदावरी (डिसेस्ड) टीएचआर। एलआरएस। और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

उत्तरदाताओं के नाम-प्रतिवादी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने 4 जून 1986 को मुकदमे की संपत्ति को अपने नाम में बदलने के लिए एक मुकदमा दायर किया था और उक्त मुकदमा 22 दिसंबर

2006 को ही तय किया गया था। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी-वादी द्वारा 17 अक्टूबर 1989 को दायर किया गया मुकदमा अपरिपक्व था।

12. श्री सिंह ने कहा कि पंजाब अधिनियम को देखते हुए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। वह कुलवंत कौर और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है।

एल. आर. द्वारा गुरदियाल सिंह मान (मृत)। और अन्य 2. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से किरोडी (मृत होने के बाद से) के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर करता है। राम प्रकाश और अन्य 3 और सत्येंद्र और अन्य बनाम। सरोज और अन्य 4 इस प्रस्ताव के समर्थन में। श्री सिंह, आगे निर्मला आनंद बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं। एडवेंट कॉर्पोरेशन (पी) लिमिटेड और अन्य ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत के निर्देश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है जो निर्देश देता है कि यदि वादी विशिष्ट प्रदर्शन प्राप्त करना चाहता है, तो वही प्रचलित बाजार दर पर किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14 को देखते हुए मुकदमा अपने आप में मान्य नहीं था।

13. पंजाब अधिनियम की धारा 41 इस प्रकार है:

" 41. दूसरी अपील-(1) के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।

उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर, अर्थात्:

(क) निर्णय कानून या किसी प्रथा के विपरीत होना या

कानून की शक्ति रखने वाला उपयोग:

(ख) निर्णय कानून के बल वाले कानून या प्रथा या उपयोग के कुछ भौतिक मुद्दे को निर्धारित करने में विफल रहा है:

(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 [1908 का 5] द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण त्रुटि या दोष, या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा जो संभवतः हो सकता है

गुण-दोष के आधार पर मामले के निर्णय में उत्पन्न त्रुटि या दोष; [स्पष्टीकरण-अस्तित्व से संबंधित एक प्रश्न या

2 (2001) 4 एससीसी 262 3 (2019) 11 एससीसी 317

42022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1026 5 (2002) 5 एससीसी 481 [2022] 11 एस. सी. आर.

किसी प्रथा या उपयोग की वैधता को एक प्रश्न माना जाएगा।

उसकी धारा के अर्थ के भीतर कानून का:]

(2) एक अपीलीय डिक्री से इस धारा के तहत एक अपील हो सकती है

एक तरफ से पारित किया। "

14. यह न्यायालय, रणधीर कौर बनाम के मामले में। पृथ्वी पाल सिंह और अन्य ", पुराने के तहत हस्तक्षेप की गुंजाइश पर विचार करने के बाद सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 (संक्षेप में "सी. पी. सी".) और पंजाब अधिनियम की धारा 41 में इस प्रकार कहा गया है:

" 15. उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से पता चलेगा कि दूसरी अपील में अधिकार क्षेत्र इस आधार पर तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना है कि निष्कर्ष गलत हैं, हालांकि, सकल या

त्रुटि अक्षम्य प्रतीत हो सकती है। तथ्य के निष्कर्षों में दस्तावेजी साक्षय के आधार पर निष्कर्ष भी शामिल होंगे। दूसरी अपील में हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र केवल तभी होता है जब कानून या प्रक्रिया में कोई त्रुटि होती है, न कि केवल किसी मामले में त्रुटि।

तथ्य का प्रश्न "।

15. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई न्यायालय पंजाब अधिनियम की धारा 41 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, तब भी वह ऐसा नहीं कर सकता है।

दूसरी अपील में तथ्य के निष्कर्षों में इस आधार पर हस्तक्षेप करना कि उक्त निष्कर्ष गलत हैं, चाहे त्रुटि कितनी भी स्थूल या अक्षम्य प्रतीत हो। यह माना गया है कि तथ्य के निष्कर्षों में दस्तावेजी साक्षय के आधार पर निष्कर्ष भी शामिल होंगे। पंजाब अधिनियम की धारा 41 के तहत अधिकार क्षेत्र केवल तभी उपलब्ध होगा जब सी. पी. सी. या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया में कोई बड़ी त्रुटि या दोष हो।

16. इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने सत्येंद्र और अन्य (ऊपर) के मामले में हाल के एक फैसले में इस प्रकार टिप्पणी की है:

" 17. जो भी हो, हालांकि कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्माण की आवश्यकता आवश्यक नहीं थी, फिर भी धारा 41

पंजाब न्यायालय अधिनियम के अनुसार केवल ऐसे निर्णयों की आवश्यकता होती है।

दूसरी अपील में विचार किया जाना है जो इसके विपरीत है

कानून या कानून के बल वाले किसी प्रथा या उपयोग के लिए या नीचे का न्यायालय कानून के बल वाले कानून या प्रथा या उपयोग के कुछ भौतिक मुद्दे को निर्धारित करने में विफल रहा है।

6 (2019) 17 एस. सी. सी. 71 एम/एस. शिवाली एंटरप्राइजेज वी. एसएमटी। गोदावरी

निर्णय लिया गया) टीएचआर। एलआरएस। और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

इसलिए, जो महत्वपूर्ण है वह अभी भी "कानून का सवाल" है। दूसरे शब्दों में, दूसरी अपील एक ऐसा मंच नहीं है जहाँ न्यायालय को विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा तय किए गए तथ्य के प्रश्नों की पुनः जांच या पुनः मूल्यांकन करना होता है। वादियों ने कुछ कृषि भूमि पर अधिकार का दावा किया था और उनका मामला यह था कि उन्हें इस संपत्ति का मालिक घोषित करने का अधिकार है और कब्जा उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए, इस कारण से कि इस विशेष संपत्ति पर प्रतिवादी और उनके पूर्ववर्ती हित में वादियों के किरायेदार थे। उनका मामला यह था कि प्रतिवादी संख्या 2 उनका किरायेदार था जिसने संपत्ति को अपने बेटे, यानी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में उप-पट्टा दिया था और इसलिए, संपत्ति को वादी को वापस कर दिया जाना चाहिए और उन्हें मालिक घोषित किया जाना चाहिए और उन्हें संपत्ति का कब्जा दिया जाना चाहिए।

गलती से, और बिना किसी औचित्य के, एक पूरी तरह से नया दिया दो किला संख्या के बारे में पता लगाना। 21 // 3 / 2 और 7// 13 जिस पर वादियों ने घोषणा और कब्जे की राहत का दावा किया, उसी आधार पर जो उन्होंने अन्य किला संख्या के लिए उठाया था। अभिवचनों से यह भी पता चलता है कि प्रतिवादियों ने सभी भूखंडों के लिए वादी के दावे का सामान्य खंडन किया था। फिर भी, उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि प्रतिवादियों ने प्लॉट संख्या के लिए कोई दावा नहीं किया था। 21 // 3 / 2 और 7// 13 और इसलिए तर्क द्वारा इन भूखंडों के लिए वादी को अधिकार दिया जाना चाहिए था! दूसरे अपीलीय न्यायालय का यह तर्क इस सरल कारण से गलत है कि अपने मामले को साबित करने के लिए सबूत का बोझ वादी पर था, जो वे विफल हो गए थे। वे इस संपत्ति पर किसी भी प्रकार के अपने दावे के बारे में निचली अदालत के साथ-साथ प्रथम अपीलीय अदालत की संतुष्टि के लिए साबित नहीं कर पाए हैं। केवल इसलिए कि प्रतिवादी ने जवाबी [2022] 11 एस. सी. आर. नहीं उठाया।

इस संपत्ति पर दावे का वास्तविक अर्थ यह नहीं होगा कि एक डिक्री

प्लॉट संख्या के लिए वादी के दावे का आदेश देना। 21 // 3 / 2 और 7// 13 गलत है और उस हद तक अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

[जोर दिया गया]

17. इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि, हालांकि यह है कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने के लिए आवश्यक नहीं है, पंजाब अधिनियम की धारा 41 के तहत अधिकार क्षेत्र केवल ऐसे निर्णयों को दूसरी अपील में विचार करने की अनुमति देगा जो कानून के विपरीत हैं या कानून के बल वाले किसी प्रथा या उपयोग के विपरीत हैं, या जब नीचे की अदालतें कानून या प्रथा या उपयोग के किसी भौतिक मुद्दे को निर्धारित करने में विफल रही हैं।

कानून की शक्ति। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दूसरी अपील एक ऐसा मंच नहीं है जहां न्यायालय को निचली अदालत या अपीलीय न्यायालय द्वारा तय किए गए तथ्य के प्रश्न की पुनः जांच या पुनः मूल्यांकन करना है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि हालाँकि पंजाब

अधिनियम की धारा 41 को देखते हुए, कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करना आवश्यक नहीं है, दूसरी अपील के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग साक्षय की पुनः प्रशंसा के लिए नहीं किया जा सकता है।

18. अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत का अवलोकन-वादी निष्पादित विलेख। अपीलार्थी-वादी को किसी भी तरह से मुक़दमा संपत्ति का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी गई थी ताकि पेड़ लगाए जा सकें, निर्माण किया जा सके, स्थापित किया जा सके। टचूबवेल आदि। शिकायत में यह निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है:

" 10. कि सभी प्रतिवादी स्वीकार और स्वीकार कर रहे हैं

वादी फर्म मुकदमा भूमि के कब्जे में है और देख रहा है

वे इस पर भारी राशि खर्च करते हैं। वादी मेसर्स को प्रभावित कर रहा है। शिवाली एंटरप्राइजेज वी. एसएमटी। गोदावरी निर्णय लिया गया) टीएचआर। एलआरएस। और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

वाद भूमि और प्रतिवादियों पर महंगे सुधार हैं

यह देखा जा रहा है कि वादी ने भारी राशि खर्च करने पर आपत्ति जताई है। वे अपने कृत्यों, आचरण, चूक, लापरवाही और स्वीकारोक्ति से तथ्य को नकारने से वंचित हो जाते हैं।

11. कि विवाद में भूमि की दरें बढ़ने लगी हैं और प्रतिवादियों ने सरासर लालच में जबरन कब्जा करने, वादी को बेदखल करने और लगभग एक महीने पहले वादी द्वारा वाद भूमि के शांतिपूर्ण आनंद में हस्तक्षेप करने की धमकी दी है। उन्होंने मुकदमे की जमीन को तीसरे पक्ष के पक्ष में करने की भी धमकी दी है। उन्होंने आवश्यक आयकर मंजूरी प्रमाण पत्र प्राप्त करने और वादी फर्म के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित करने से भी इनकार कर दिया है, जैसा कि समझौते के अनुसार हुआ है। 23.8.1985 दिनांकित बिक्री समझौते की शर्तें।

12. कि प्रतिवादी नंबर 1 से 4 तक बार-बार संपर्क किया गया था

वादी के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित करें

23.8.1985 दिनांकित बिक्री समझौते की शर्तें। प्रतिवादियों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे वादी को बेदखल करने, जबरन कब्जा करने या अन्यथा वादी द्वारा वाद भूमि के शांतिपूर्ण आनंद में हस्तक्षेप करने से बचें। हालांकि, कुछ समय के लिए पूर्वधारणा के बाद प्रतिवादियों ने अंततः वादी के उचित, न्यायसंगत और कानूनी अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

लगभग एक सप्ताह पहले। इसलिए यह सूट।

13. कि वादी फर्म हमेशा से अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने के लिए तैयार और इच्छुक रही है और अभी भी ऐसा करने के लिए तैयार और इच्छुक है। इसे हमेशा से बकाया बिक्री की आवश्यक राशि मिली है।

इसके साथ विचार और व्यय आदि। इस प्रकार प्रतिवादियों ने उपरोक्त विवरणों के अनुसार बिक्री समझौते का उल्लंघन किया है।

दुर्भावनापूर्ण इरादे से।

14. कार्रवाई का वह कारण लगभग एक महीने पहले और फिर से उत्पन्न हुआ

एक सप्ताह पहले प्रतिवादियों के अंतिम इनकार पर। "

19. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अपीलार्थी-वादी ने वास्तविक रूप से कहा है कि मुक़दमे की संपत्ति की बढ़ती दर के कारण, प्रतिवादियों ने, सरासर लालच में, संपत्ति पर कब्जा करने की धमकी दी थी और मुक़दमे की संपत्ति को अलग करने की धमकी भी दी थी।

किसी तीसरे पक्ष का।

20. लिखित बयान में, प्रत्यर्थियों-प्रतिवादियों के पास 1 है कि अपीलकर्ता-वादी ने [2022] 11 एस. सी. आर. से पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त किया था।

उत्तरदाता-प्रतिवादी और आई. टी. सी. प्रमाणपत्र प्राप्त करने का बीड़ा उठाया था। यह उत्तरदाताओं द्वारा आगे कहा गया था-प्रतिवादियों ने कहा कि उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी और एक मुख्तार, एक एजेंट को फांसी दी थी

अपीलार्थी-वादी को राजस्व अभिलेखों को ठीक करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता थी। उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों के लिखित बयान के पैराग्राफ (11) को निम्नानुसार संदर्भित करना प्रासंगिक होगाः

" 11. पैरा No.11 के जवाब में इस बात से इनकार किया गया है कि वादी इसमें हैं।

मुक़दमे में भूमि का अधिकार; यह भी अस्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी

जमीन खरीदने की वित्तीय क्षमता थी; इसे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या। 1 4 तक सूट के कब्जे में हैं

भूमि को उसके मालिकों के रूप में और उसे अलग करने का अधिकार यदि आप चाहते हैं। इस बात से भी इनकार किया जाता है कि बेचने का समझौता

दिनांकित 23.8.1985 लागू है।"

[जोर दिया गया]

21. उपरोक्त अनुच्छेद के अवलोकन से पता चलता है कि

प्रत्यर्थियों-प्रतिवादियों ने इस बात से इनकार किया था कि अपीलार्थी-वादी के पास मुकदमे की संपत्ति थी। प्रतिवादियों ने आगे कहा कि यदि वे चाहें तो मुकदमे की संपत्ति को अलग करने का उनका अधिकार है।

22. निचली अदालत सबूतों को देखने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंची कि बेचने के समझौते (ओं) के निष्पादन को उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों द्वारा स्वीकार किया गया था। निचली अदालत आगे इस तथ्य के एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंची कि अपीलकर्ता-वादी हमेशा तैयार था और अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार था। इसने पाया कि, उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों द्वारा बेचने के समझौते (ओं) में दी गई शर्तों का पालन करने पर, उन्हें अपीलकर्ता-वादी को एक नोटिस जारी करने की आवश्यकता थी और उक्त नोटिस प्राप्त होने के बाद, बिक्री पर विचार का भुगतान उक्त नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक था।

23. अपील में, विद्वान अपीलीय न्यायालय ने निष्कर्षों की पुष्टि की विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य। इसने अभिनिर्धारित किया कि बेचने के समझौते का निष्पादन (उदा. पीडब्लू1/3) और रुपये की बकाया राशि की प्राप्ति। 1,50,000 / - विवादित नहीं था। इसने पाया कि बेचने के समझौते की शर्तों के अनुसार, यह उत्तरदाताओं के लिए था-प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को राजस्व रिकॉर्ड को ठीक करना था और वे प्राप्त करने के लिए भी सहमत हुए थे।

आई. टी. सी. प्रमाणपत्र और उसी की एक प्रति विक्रेता को भेजना। विद्वत अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि लिखित कथन में शामिल इन शर्तों का खंडन करने के लिए मौखिक साक्षय भी मेसर्स की दृष्टि में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

24. विद्वत अपीलीय न्यायालय एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4, जो समझौते के हस्ताक्षरकर्ता थे, उनमें से कोई भी गवाह बॉक्स में प्रवेश नहीं किया था। हालाँकि अजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 7, जो प्रतिवादी संख्या 3 का पति है, एक गवाह के रूप में पेश हुआ था, अपीलीय अदालत ने पाया कि वह प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं था, जो विक्रेता होने के नाते सामग्री थे। गवाह। विद्वत अपीलीय न्यायालय, विद्याधर बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करता है। माणिकराव और 'अनदर' ने कहा कि किसी भी विक्रेता की जांच न होने के कारण उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

25. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवादित फैसले के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलकर्ता-वादी विशिष्ट अनुरोध कर सकता है राजस्व रिकॉर्ड को ठीक करने के बाद ही अनुबंध का निष्पादन। इसने अभिनिर्धारित किया कि राजस्व अभिलेख के सुधार के लिए मुकदमा प्रतिवादियों द्वारा 4 जून 1986 को दायर किया गया था और यह फैसला 22 दिसंबर 2006 को सुनाया गया था। अतः इसने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी वादी का मुकदमा जो 17 अक्टूबर

1989 को दायर किया गया था, मान्य नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसलिए अपीलों को अनुमति दी और कहा कि,

निर्मला आनंद (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए, यदि वादी बिक्री विलेख को निष्पादित करना चाहता है, तो उसे भुगतान करने की आवश्यकता है।

सूट संपत्ति की वर्तमान प्रचलित बाजार दर।

26. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में गलती की है

विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी। निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने विशेष रूप से सबूतों के आधार पर पाया था कि, हालांकि बेचने के समझौते (समझौतों) के नियमों और शर्तों के अनुसार, बिक्री विलेख का निष्पादन केवल उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों द्वारा आईटीसी प्रमाणपत्र प्राप्त करने और राजस्व रिकॉर्ड को ठीक करने के बाद किया जाना था, अपीलकर्ता-वादी को मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि प्रतिबादी मुकदमे की संपत्ति को अलग करने की कोशिश कर रहे थे।

27. यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता-वादी ने विशेष रूप से कहा है कि, हालांकि उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों ने न तो प्राप्त किया था

आई. टी. सी. प्रमाणपत्र और न ही राजस्व रिकॉर्ड को सही किया गया था, वे उसे बेदखल करने और मुकदमे पर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने की धमकी दे रहे थे। संपत्ति। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी-वादी मुकदमा दायर करने के लिए विवश था। लिखित बयान में, उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों ने विशेष रूप से कहा है कि वे तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने के हकदार थे।

28. प्रतिवादी-प्रतिवादी को एक ही समय में गर्म और ठंडा उड़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक ओर, उन्होंने तर्क दिया कि आईटीसी प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता था और राजस्व अभिलेखों का सुधार, जबकि दूसरी ओर, वे वाद संपत्ति को अलग करने के अपने अधिकार पर जोर देते हैं।

29. श्री सिंह ने कुलवंत कौर और अन्य (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है। इसमें कोई शक नहीं कि यह कहाँ है

यह पाया जाता है कि विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष गलत परीक्षण पर दूषित किए जाते हैं और मान्यताओं और अनुमानों के आधार पर और परिणामस्वरूप, विकृति का एक तत्व है, उच्च न्यायालय उसी से निपटने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में होगा। हालाँकि, इसकी अनुमति केवल उस स्थिति में दी जा सकती है जब उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रकाश में लाया जाता है और निर्णय न्याय की अवधारणा के प्रतिकूलता के मुद्दे के बारे में भी स्पष्ट होना चाहिए।

30. वर्तमान मामले में, तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं होने के अलावा, इसमें कोई अवलोकन भी नहीं है

उस प्रभाव के लिए उच्च न्यायालय का निर्णय। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय भी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करता है

न्याय की अवधारणा के प्रति विकृति। इस प्रकार, हमारे विचार में, उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

31. जहाँ तक प्रतिवादियों द्वारा रखी गई निर्भरता का संबंध है-निर्मला आनंद (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर प्रतिवादियों का भरोसा है - संबंधित, उक्त निर्णय, प्रत्यर्थियों-प्रतिवादियों के मामले का समर्थन करने के बजाय, अपीलार्थी-वादी के मामले का समर्थन करेगा। उक्त मामले में, अपीलार्थी द्वारा दायर वाद का आंशिक रूप से आदेश दिया गया था, जिससे केवल हर्जाना दिया गया था। उसी को डिवीजन बेंच द्वारा बरकरार रखा गया था

उच्च न्यायालय। इसमें प्रतिवादी का बचाव मेसर्स द्वारा किए गए समझौते के निष्पादन की असंभवता के संबंध में था।

उत्तरदाता संख्या 1 और 2 के साथ अपीलार्थी। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने पाया कि विलंब के लिए केवल प्रतिवादियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि भवन का पूरा होना इस पर निर्भर था कुछ कार्य जो निगम और सरकार द्वारा किए जाने थे। इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने अपीलार्थी-प्रतिवादी को वादी-द्वारा उसके पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए एक अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

32. वर्तमान मामले में, यह देखा जाएगा कि रुपये की सहमत राशि में से, अपीलार्थी-वादी पहले ही 23 अगस्त 1985 को या उससे पहले रुपये की राशि का भुगतान कर चुका है। वह पहले से ही अंदर रखा गया था

बेचने के लिए समझौते (ओं) के निष्पादन के समय कब्जा। बकाया बिक्री का भुगतान कुल सहमत राशि का केवल 10 प्रतिशत था। हालाँकि बिक्री विलेख उत्तरदाताओं पर निष्पादित किया जाना था-प्रतिवादियों को आई. टी. सी. प्रमाणपत्र प्राप्त करना और वर्ष 1986 में राजस्व रिकॉर्ड को सही करना, उनके लालच को देखते हुए क्योंकि कीमतें बढ़ रही थीं, उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों ने तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने की कोशिश की थी। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी-वादी को मुकदमा दायर करने की आवश्यकता थी। प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में यह भी कहा है कि वे मुकदमे की संपत्ति को अलग करने के हकदार थे। बेचने के लिए समझौते (ओं) को स्वीकार करने और रुपये की राशि की प्राप्ति। 1,50,000 / - रुपये की कुल राशि में से, प्रतिवादियों को इसके विपरीत रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी कि एक ओर, आई. टी. सी. प्रमाण पत्र प्राप्त करने और राजस्व रिकॉर्ड को ठीक करने से पहले मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता था, और दूसरी ओर कि वे मुकदमे की संपत्ति को अलग करने के हकदार थे।

33. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दस्तावेजी और मौखिक साक्षय के सही मूल्यांकन पर निचली अदालत और अपीलीय न्यायालय द्वारा प्राप्त तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में गलती की है।

34. परिणाम में, हम निम्नलिखित क्रम पारित करते हैं:

((i) अपीलों की अनुमति है। ((ii) उच्च न्यायालय द्वारा नियमित दूसरी अपील संख्या में 3 मार्च 2008 का निर्णय पारित किया गया। 1206 और 2005 का 1207 और

2005 के आर. एस. ए. सं. 1206 में 2008 के आर. ए. सं. 19-सी और 2005 के आर. एस. ए. सं. 1207 में 2008 के आर. ए. सं. 18-सी में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 10 अप्रैल 2008 के आदेश को रद्द कर दिया गया है और अलग रखें; और [2022] 11 एस. सी. आर. ई-कोर्ट रिपोर्ट

दिनांक 3 जनवरी 2001 को आदेश और फरमान पारित किए गए।आर. बी. टी. 329/90/2000 और दिनांक 8 फरवरी को अपीलीय न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 11 में अपील की गई।

आवेदन (ओं), यदि कोई हो, में निपटाया जाएगा

लागत के बारे में।

अपीलों की अनुमति दी गई।